

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क्रमांक -635 / 2012
संस्थापित दिनांक 03 / 12 / 2012
फाईलिंग नम्बर 233504000382012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

राकेश उर्फ माखन पिता युवराज अतुलकर, उम्र 31 वर्ष,
 जाति महार, व्यवसाय मजदूरी, नि०ग्राम बस स्टेंड आमला
 तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-25 / 02 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 02 / 12 / 2012 को 17:30 बजे जनपद चौक आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार का छुरा को अपने आधिपत्य में रखा, जो कि म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्र०-6312-6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02 / 12 / 12 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि जनपद चौक आमला पर एक व्यक्ति हाथ में नंगी लोहे की छुरी लिये लोगों को डरा धमका रहा है जिसकी तश्दीक को हमराह स्टॉफ आर० 338 जाकिर, 88 योगेश, 67 प्रकाश साक्षी राहगीर विजय, मुकेश के जाकर जनपद चौक आमला पर पहुँचा देखा कि एक व्यक्ति एक लोहे की नंगी छुरी हाथ में लिए लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा था जिसे स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा पूछताछ कर उसका नाम राकेश नि० बस स्टेंड का होना बताया अवैध शस्त्र रखने के संबंध में लायसेंस पूछा तो नहीं होना बताया तब समक्ष गवाहन विजय, मुकेश के विधिवत् मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जे पुलिस में लिया मौके पर सील बंद किया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 3 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 354 / 12 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक

02/12/12 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 08.07.16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शपी-2 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या आपने दिनांक 02/12/2012 को 17:30 बजे जनपद चौक आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार का छुरा को अपने आधिपत्य में रखा, जो कि म०प्र० राज्य की अधिसूचना कं०-6312-6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।?”

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :- विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण

6- अभियोजन साक्षी आर०के० दुबे (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02/12/12 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उसके हाथ में लोहे की धारादार छुरी हाथ में लेकर आने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचा, मौके पर उसने आरोपी राकेश महार से छुरी रखने का कारण पूछा तो उसने कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने घेराबंदी कर मौके पर आरोपी को पकड़ा एवं उसके कब्जे से लोहे की छुरी लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1 इंच, फन की लंबाई 8 इंच, मूठ की लंबाई 5 इंच जप्त कर जप्ती प्र०पी० 1 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर थाना आमला की सील अंकित है। उसने मौके पर उन्हीं गवाहों के समक्ष गिर० कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर साक्षी विजय, मुकेश के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। उसके द्वारा शासन की अधिकृत सूचना प्रकरण में संलग्न की है जो प्र०पी० 1 है।

7- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि साक्षी विजय और मुकेश को बुलाकर कथन लिए थे। आगे यह भी स्वीकार किया है कि इन साक्षियों के अलावा उसने किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की थी। अर्थात् जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 की जप्तशुदा छुरी गवाह विजय एवं मुकेश के समक्ष जप्त नहीं की गई थी मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा इन गवाह को बुलाकर कथन लिए गए हैं। साथ ही इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उक्त दोनों गवाहों

के समक्ष अभियुक्त को घेराबंदी कर लोग स्थान से उसके कब्जे से प्र0पी0 1 की लोहे की छुरी की जप्ती बनाई गई हो। साथ ही जप्ती के स्वतंत्र साक्षी मुकेश (अ0सा03) ने भी जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। इस गवाह के द्वारा घटना स्थल पर रवानगी व वापसी के संबंध कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेह उत्पन्न करती है। और यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि सार्वजनिक स्थान पर लोहे की एक छुरी अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गई हो।

8— अभियोजन साक्षी योगेश (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय टी0आई0 आर0के0 दुबे के साथ कस्बा भ्रमण पर था, तभी सूचना मिली की बस स्टैंड में लोहे का छुरा लेकर घुम रहा है। तब वह बस स्टैंड पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि आरोपी के हाथ में लोहे का छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। जबकि अभियोजन साक्षी आर0के0 दुबे (अ0सा01) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि अभियुक्त राकेश महार से छुरी रखने का कारण पूछा तो उसने कोई कारण नहीं बताया। इस प्रकार विवेचना अधिकारी आर0के0 दुबे की साक्ष्य के अनुसार लोहे की एक छुरी अभियुक्त के कब्जे से जप्त होना बताया गया है। जबकि यह गवाह आरक्षक है। इस गवाह ने अभियुक्त के कब्जे से लोहे का छुरा जप्त करना बताया गया है। जबकि प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि मय स्टॉफ के घटना स्थल पर गये और आरोपी को पकड़ा मोबाईल गाड़ी में बैठाया और लेकर आ गये। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि थाने में आर0के0 दुबे थाना प्रभारी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण कार्यवाही की गई। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आर0के0 दुबे थाना प्रभारी के द्वारा साक्षी विजय एवं मुकेश के किसी कागज पर कोई हस्ताक्षर नहीं लिए। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य से स्पष्ट है कि घटना स्थल से अभियुक्त के कब्जे से लोहे की एक छुरी की जप्ती नहीं बनाई गई। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने घटना घटित होने की तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी मुकेश (अ0सा03) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में साक्षी विजय को अदम पता किया गया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार का छुरा को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं0 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार का छुरा को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार

अभियुक्त राकेश उर्फ माखन को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे की छुरा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०